

**न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़****पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस****प्रकरण सं० : 129/2020**

1. अनिल पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी नेठराना त० भादरा।
2. पंकज पुत्र सतीश कुमार जाति जाट निवासी नेठराना त० भादरा।
3. पारूल आयु 16 वर्ष जंरिये कुदरती वली माता राजबाला जाति जाट निवासी नेठराना त० भादरा।


**:- वादीगण****ब नाम**

- 1 मनीराम पुत्र केसराराम जाति जाट निवासी नेठराना त० भादरा।
- 2 बृजलाल पुत्र मनीराम जाति जाट नि० नेठराना त० भादरा।
- 3 सतीश कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट नि० नेठराना त० भादरा।
- 4 मूर्ती देवी पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी नेठराना त० भादरा।
- 5 कृष्णा पुत्री मनीराम जाति जाट नि० नेठराना त० भादरा।
- 6 सन्तोष पुत्री मनीराम जाति जाट नि० नेठराना त० भादरा।
- 7 चन्द्रकला पुत्री मनीराम जाति जाट नि० नेठराना त० भादरा।
- 8 पूनम पुत्री बृजलाल जाति जाट नि० नेठराना त० भादरा।
- 9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

**:- प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी राजस्व भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद सिंगाठिया एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र गढवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 बारानी के खाता सं० 91/76 के मु० न० 75 के किला न० 18 ता 23 की 1.518है०, मु० न० 76 के किला न० 16, 17, 24, 25 के 1.012है०, मु० न० 81 के किला न० 4 व 5 की 0.506है०, मु० न० 82 के किला न० 1 ता 9 व 10/1 की 2.403है० कुल 5.439है० बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 के नाम से व रोही चक 2 बीआरडब्ल्यू के खाता सं० 9/10 के मु० न० 38 के किला न० 1 9, 10, 12, 19, 22 की 1.518है० नहरी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वर्णित वादभूमि में से मनीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी सं० 1 अनिल व प्रतिवादी सं० 2 बृजलाल को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा व वादी सं० 2 पंकज, वादी सं० 3 पारूल व प्रतिवादी सं० 3 सतीश कुमार को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं० 4 ता 7 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादीगण व प्रतिवादी सं० 2 व 3 के पक्ष में व इसी प्रकार प्रतिवादी सं० 8 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी सं० 1 व प्रतिवादी सं० 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
 (शकुन्तला चौधरी)  
 उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
 भादरा, जिला हनुमानगढ़